

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्र./एफ.44-12/20-2/2017

भोपाल दिनांक.. 17/07/2017

आदेश

राज्य शासन द्वारा पूर्व में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क संबंधी सभी आदेश/निर्देशों को निरस्त करते हुए राज्य के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2017-18 से शासकीय/स्थानीय निकाय/अशासकीय अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

स. क्र.	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा	500/-	500/-
2	मूल्यांकन/स्थानीय परीक्षा शुल्क	500/-	1000/-
3	साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शुल्क	500/-	500/-
4	विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	500/-	1000/-
5	वाचनालय एवं इंटरनेट	500/-	1000/-
6	संस्थान पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	500/-	1000/-
7	विविध (शैक्षिक भ्रमण एवं नवाचार)	1000/-	1000/-
8	पुस्तकालय कॉशनमनी	1000/-	-
9	संस्थान विकास शुल्क	3000/-	3000/-
10	संस्थान कॉशनमनी	1000/-	-
	कुल-	9000/-	9000/-

2/ उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क गृथक से देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक.. 17/07/2017

19 JUL 2017 क्र./एफ.44-12/20-2/2017

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त लोक शिक्षण/आदिवासी विकास म0प्र0 भोपाल।
5. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आर्डर बुक

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

NO. 1672/DRS/2017
DATED 19 JUL 2017

1672/DRS/2017
19.7.17

ph share
m0pr0

AMJ(S.G)

A D

19/7/17

19/7/17